

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

255



R - 2519 - ५८१६

श्रीवेन्द्र प्रसाद मिश्र तनय स्व0 काशी प्रसाद मिश्र, उम्र- 40 वर्ष निवासी
ग्राम-बड़ागांव, तह0 गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0) निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती सावित्री पत्नी स्व0 श्री इन्द्रदत्त
2. राजेन्द्र कुमार तनय स्व0 श्री इन्द्रदत्त
3. राजकुमार तनय स्व0 श्री इन्द्रदत्त
4. यदुवर प्रसाद तनय स्व0 श्री काशीप्रसाद

सभी निवासी ग्राम-बड़ागांव, तह0 गुढ़, जिला-रीवा (म0प्र0)

..... गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय
अधिकारी, तह0 गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा प्र.क.

8/31-6/2013-14 जिला रीवा (म0प्र0) में पारित आदेश

दिनांक 21.07.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा० संहिता 1959 ई०

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
- 2- यह कि निगरानीकर्ता के पिता स्व0 काशी प्रसाद अपने जीवनकाल में दिनांक 13.04.2007 को अपने स्वत्व आधिपत्य की कुर्ई आराजियात जिसमें खसरा क्रमांक 2068/1 रकवा 0.142 है, खसरा क्रमांक 2069/1 रकवा 0.611 है एवं खसरा क्रमांक 2071 रकवा 0.219 है रित्थ ग्राम-बड़ागांव, रा०नि०म० गुढ़, तह0 गुढ़ जिला-रीवा (म0प्र0) का जरिये पंजीकृत वसीयतनामा अपने छोटे पुत्र श्रीवेन्द्र प्रसाद मिश्र के नाम करा दिया था। उक्त वसीयतनामा की जानकारी गैर निगरानीकर्ता को भी थी।
- 3- यह कि दिनांक 05.08.2012 को काशी प्रसाद की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद निगरानीकर्ता श्रीवेन्द्र प्रसाद ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर वसीयतसुदा आराजी खसरा क्रमांक 2068/1, 2069/1, 2070/1 का नामोत्तरण बावत् आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील गुढ़ जिला रीवा

142
611
249
972

श्रीवेन्द्र प्रसाद मिश्र

मिश्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निरा/2519-III/2014

जिला-रीवा

श्रीवेद प्रसाद मिश्रा / श्रीमती सावित्री

(2)

(3)

(1)

23.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यदेव दुबे उपस्थित।
आवेदक की ओर से यह निरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 08/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण में सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।

म/


(बी.एम.शर्मा),
सदस्य

